अनुस्मारक
संख्या– 879/आठ–10–2023

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार भारती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
आवास विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. उपाध्यक्ष/सचिव,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर–प्रदेश।

4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 **लखनऊः दिनांक 18 दिसम्बर, 2023**

विषयः–विभागों में कार्यरत सामान्य कोटि के संवर्गों, जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर मात्र वेतनमानों की परिस्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के पत्र संख्या–वे0आ0–2–809/दस–2023,दिनांक 15.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) एवं शासन के पत्र संख्या– यू0ओ0–58/आठ–10–2023, दिनांक 13.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 (सिविल) डायरी संख्या–20366/2023 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम श्री वीरेन्द्र बहादुर कठेरिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के अनुपालन हेतु एडिशनल सॉलिसीटर जनरल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कतिपय 04 बिन्दुओं पर व्यय–भार की गणना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

2. अस्तु उक्त प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में दिनांक 20.12.2023 को मध्याहन 12.00 बजे वित्त विभाग के कक्ष संख्या– 84 (परिजात) नवीन भवन,उत्तर प्रदेश सचिवालय में बैठक आयोजित की गई हैं।

3. अतः इस संबंध वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 15.12.2023 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग/संबंधित विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक को निर्देशित कर दिया जाय कि वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप–1, 2, 3, 4 एवं सुसंगत अभिलेखों सहित दिनांक 20.12.2023 को मध्याहन 12.00 बजे वित्त विभाग के कक्ष संख्या– 84 (परिजात) नवीन भवन,उत्तर प्रदेश सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(महेन्द्र कुमार भारती)
विशेष सचिव।

GO2022

सं-879/आ0-10-2023

बैठक
दि0 20.12.2023
स0 12:00 बजे
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग

बैठक/दिनांक 20.12.2023

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या-वे0आ0-2-809/दस-2023
लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2023

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

86583/ACS/2023

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 11.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें जिसके माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 (सिविल)-डायरी संख्या-20366/2023 उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य बनाम श्री वीरेन्द्र बहादुर कठेरिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के पालन हेतु एडिशनल सॉलिसीटर जनरल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कतिपय बिन्दुओं पर व्ययभार की गणना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2023 को वित्त विभाग के बैठक कक्ष पारिजात में एक बैठक आयोजित की गई थी।

VS(B)
आ0-10

2- उक्त बैठक में आपके विभाग के उपस्थित अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि व्ययभार की गणना उपलब्ध कराये जाने हेतु अत्यन्त अल्प समय दिया गया है इतने अल्प समय में व्ययभार की गणना किया जाना सम्भव नहीं है। अस्तु उक्त प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में पुन: दिनांक **20.12.2023 को मध्याहन 12:00 बजे से वित्त विभाग के कक्ष संख्या-84 (पारिजात) नवीन भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय में बैठक आयोजित होगी।** कृपया उक्त पत्र दिनांक 11.12.2023 द्वारा वांछित सूचना सहित विशेष सचिव स्तर से अन्यून अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु नाम निर्दिष्ट करना चाहें।

10-12-2023
(विनोद शर्मा)
निजी सचिव,
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0 शासन

179/VSH(MB)/23
VS(SP)

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(पुष्पराज)
विशेष सचिव।

18/12/23
(महेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।।
(2) सुश्री रूचिरा गोयल, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, उत्तर प्रदेश सरकार, नई दिल्ली।
(3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
(4) व्यवस्थाधिकारी, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निर्धारित तिथि व समय पर **वित्त विभाग के कक्ष संख्या-84 (पारिजात) नवीन भवन** को खुलवाने का कष्ट करेंगे।

S0-10
18/12/23
आ0-10

18-12-23

(पुष्पराज)
विशेष सचिव।

मु०आ०(23)169

पत्र संख्या-वे0आ0-2-809/दस-2023, दिनांक 20.12.2023 का संलग्नक।

क्र0 सं0	विभाग का नाम (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव)
1	सचिवालय प्रशासन विभाग
2	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग
3	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
4	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
5	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
6	आबकारी विभाग
7	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग
8	उच्च शिक्षा विभाग
9	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
10	ऊर्जा विभाग
11	एन0आर0आई0 विभाग
12	कृषि विभाग
13	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
14	कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग
15	कार्मिक विभाग
16	कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
17	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
18	खेलकूद विभाग
19	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग
20	खाद्य एवं रसद विभाग
21	ग्राम्य विकास विभाग
22	गृह एवं गोपन/कारागार प्रशासन एवं सुधान विभाग
23	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग
24	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग

पृ०ओ०।

25	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
26	चिकित्सा शिक्षा विभाग
27	आयुष विभाग
28	दुग्ध विकास विभाग
29	धर्मार्थ कार्य विभाग
30	न्याय विभाग
31	विधायी विभाग
32	नागरिक उड्यन विभाग
33	नियोजन विभाग
34	नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग
35	निर्वाचन विभाग
36	नियुक्ति विभाग
37	पंचायती राज विभाग
38	पशुधन विभाग
39	प्राविधिक शिक्षा विभाग
40	प्रशासनिक सुधार विभाग
41	पर्यटन विभाग
42	पुनर्गठन समन्वय विभाग
43	पिछडा वर्ग कल्याण विभाग
44	पर्यावरण विभाग
45	परिवहन विभाग
46	परती भूमि विकास विभाग
47	भाषा विभाग
48	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
49	माध्यमिक शिक्षा विभाग
50	बेसिक शिक्षा विभाग